



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-17022026-270215
CG-OR-E-17022026-270215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 747]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947

No. 747]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

रेल मंत्रालय

पूर्व तट रेलवे (निर्माण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2026

(रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत सूचना)

का.आ. 785(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (89 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा बीस (ए) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, ओडिशा राज्य के खुर्दा जिले में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात्, “ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड और वाल्टेयर डिवीज़न के अंतर्गत भद्रक - विजयनगरम (५२५ कि मि) के बीच नई स्वीकृत तृतीय रेलवे लाइन परियोजना के तहत निर्गुन्डी - बारंग (२२ कि मि) और खुर्दा रोड - विजयनगरम (३६३ कि मि) के बीच तृतीय रेलवे लाइन” के निर्माण के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा बीस (डी) की उप-धारा (एक) के तहत उक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति उठा सकता है।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिकारी, खुर्दा, राज्य - ओडिशा को लिखित रूप में की जाएगी जिसमें इसका कारण दर्शाया जायेगा, और सक्षम प्राधिकारी आपत्ति कर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई किए जाने का मौका देगा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और आगे की जरूरी

जांच, यदि कोई हो, करने के बाद, जैसा सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा बीस (डी) की उप-धारा (दो) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के नक्शे एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में निरीक्षण किए जा सकते हैं।

अनुसूची

ओडिशा राज्य के खुर्दा जिले में विशेष रेलवे परियोजना, “ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड और वाल्टेयर डिवीज़न के अंतर्गत भद्रक - विजयनगरम (५२५ कि मि) के बीच नई स्वीकृत तृतीय रेलवे लाइन परियोजना के तहत निर्गुन्डी - बारंग (२२ कि मि) और खुर्दा रोड - विजयनगरम (३६३ कि मि) के बीच तृतीय रेलवे लाइन” के निर्माण हेतु संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (संलग्नक - I)

संलग्नक - I

क्रम संख्या	गांव का नाम	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	भूमि की किस्म	चक संख्या	कुल क्षेत्र एकड़ में	अधिग्रहण क्षेत्र एकड़ में	भूमि का प्रकार
1	गोपीनाथपुर	337	896	चक	322	0.120	0.120	व्यक्तिगत
2	गोपीनाथपुर	80	897	चक	323	0.182	0.090	व्यक्तिगत
3	गोपीनाथपुर	337	898	चक	324	0.140	0.121	व्यक्तिगत
					कुल क्षेत्र =	0.442	0.331	
4	कोतरी	103	1019	चक	349	0.802	0.016	व्यक्तिगत
					कुल क्षेत्र =	0.802	0.016	
5	बिसूनडीही	144	966	सारद II		0.073	0.066	व्यक्तिगत
6	बिसूनडीही	180	967	चक	448	0.305	0.145	व्यक्तिगत
7	बिसूनडीही	128/106	968	चक	449	0.135	0.011	व्यक्तिगत
8	बिसूनडीही	414/95	969	चक	450	0.462	0.245	व्यक्तिगत
9	बिसूनडीही	77	970	चक	451	0.133	0.129	व्यक्तिगत
10	बिसूनडीही	312	971	चक	452	0.337	0.018	व्यक्तिगत
					कुल क्षेत्र =	1.445	0.614	

ग्राम वार सार

क्रम संख्या	गांव	अधिग्रहण क्षेत्र एकड़ में	कुल प्लॉट संख्या
1	गोपीनाथपुर	0.331	3
2	कोतरी	0.016	1
3	बिसूनडीही	0.614	6
कुल क्षेत्र =		0.961	10

[फा. सं. CE/CON/II/BBS/LA/3rd line BHC-VZM/Gopinathpur to Bisunadihi/20A]

अजय कुमार सामल, मुख्य अभियंता (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

(East Coast Railway)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act-1989

S.O. 785(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (here in after referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required in Khurda district of Odisha state for the execution of the Special Railway Project, namely “3rd line between Nirgundi – Barang (22 Km) & Khurda Road - Vizianagaram (363 Kms) of newly sanctioned 3rd line between Bhadrak-Vizianagarm project (525Km)” under Khurda Road and Waltair Division of East Coast Railway in the State of Odisha and Andhra Pradesh.” hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Land Acquisition Officer, Khurda, State - Odisha for “3rd line between Nirgundi – Barang (22 Km) & Khurda Road - Vizianagaram (363 Kms) of newly sanctioned 3rd line between Bhadrak-Vizianagarm project (525Km)” under Khurda Road and Waltair Division of East Coast Railway in the State of Odisha and Andhra Pradesh.” in writing and shall set out grounds thereof, and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) (attached here with) to be acquired in Khurda district of Odisha state, with or without structures, for the Special Railway Project, namely “3rd line between Nirgundi – Barang (22 Km) & Khurda Road - Vizianagaram (363 Kms) of newly sanctioned 3rd line between Bhadrak - Vizianagarm project (525Km)” under Khurda Road and Waltair Division of East Coast Railway in the State of Odisha and Andhra Pradesh.”

Annexure-I

Sl. NO.	Village Name	Khata No.	Plot No.	Kissam of Land	CHAKA NO.	Total Area in Acre	Area to be acquired in Acre	Type of Land
1	GOPINATH PUR	337	896	CHAKA	322	0.120	0.120	Private
2	GOPINATH PUR	80	897	CHAKA	323	0.182	0.090	Private
3	GOPINATH PUR	337	898	CHAKA	324	0.140	0.121	Private
					TOTAL =	0.442	0.331	
4	KOTARI	103	1019	CHAKA	349	0.802	0.016	Private
					TOTAL =	0.802	0.016	
5	BISUNADIHI	144	966	Sarada II		0.073	0.066	Private
6	BISUNADIHI	180	967	CHAKA	448	0.305	0.145	Private
7	BISUNADIHI	128/106	968	CHAKA	449	0.135	0.011	Private
8	BISUNADIHI	414/95	969	CHAKA	450	0.462	0.245	Private
9	BISUNADIHI	77	970	CHAKA	451	0.133	0.129	Private
10	BISUNADIHI	312	971	CHAKA	452	0.337	0.018	Private
					TOTAL =	1.445	0.614	

Village Wise Abstract

SI No	Village	Area to be acquired in Acre	Total No. of Plots
1	GOPINATH PUR	0.331	3
2	KOTARI	0.016	1
3	BISUNADIHI	0.614	6
Total Area =		0.961	10

[F. No. CE/CON/II/BBS/LA/3rd line BHC-VZM/Gopinathpur to Bisunadihi/20A]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-II)